



नरियात-आयात बैंक के पुनर्पूँजीकरण को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय नरियात-आयात बैंक (Export Import Bank of India-Exim Bank) के पुनर्पूँजीकरण को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय नरियात-आयात बैंक में पूँजी लगाने के लिये भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड (Recapitalization Bonds) जारी करेगी।
- एक्ज़िम बैंक का पुनर्पूँजीकरण दो चरणों में किया जाएगा जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपए की पूँजी लगाई जाएगी।
- कैबिनेट ने एक्ज़िम बैंक की अधिकृत पूँजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है। पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किये जाएंगे।

प्रमुख प्रभाव:

- एक्ज़िम बैंक भारत के लिये प्रमुख नरियात ऋण एजेंसी है। एक्ज़िम बैंक में पूँजी लगाने से यह पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने सहित ज़्यादा क्षमता के साथ भारतीय नरियात के लिये आवश्यक सहायता देने में समर्थ हो जाएगा।
- पुनर्पूँजीकरण से भारतीय कपड़ा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने, रियायती वित्त योजना (Concessional Finance Scheme-CFS) में संभावित बदलावों, भारत की सक्रिय वदिश नीति और रणनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिये ऋण की नई रूपरेखा की संभावनाओं जैसी पहलों को बढ़ावा मल्लिगा।

एक्ज़िम बैंक (EXIM Bank)

- एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम (Act of Parliament) के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, इसे सुवर्धित बनाने और बढ़ावा देने के लिये शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- यह बैंक मुख्यतः भारत से किये जाने वाले नरियात के लिये ऋण उपलब्ध कराता है।
- भारत के वकिसात्मक एवं बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के नरियात के लिये वदिशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी इसमें शामिल है।
- इसका नियमन भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।

स्रोत : पी.आई.बी